

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा
उनवान

मादूमालु डि वडीपालु राफ बनाम जजूमालु डि वडीपालु राफ

किस्म मुकदमा धारा 212 मु0.न0 57 सन् 20

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
16/6/20	पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक 30/7/20 को पेश हो।	
30-7-20	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी आवेदन उपस्थित. विपक्षी आवेदन रजिस्टर उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक नरक आवेदन की निर्दिष्ट क्रिया तथा प्रार्थी आवेदन की वदत सुनी गयी वास्ते निर्दिष्ट पत्रावली दिनांक 6. 08. 2020 को पेश हो	सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर
6/8/20 प्र0स 57/20 2020/00096	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में उपलब्ध सलार्न रेकार्ड का आवेदन किया, मगर किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आ. नं 556 रकबा 0.03 है प्राप्ति कार्य प्राप्त पनोक्ति दोनों पक्षों के शासनाधीन रूप से दर्ज है उक्त प्राप्ति पत्र दोनों पक्षों का करार 2 एक ही रकबा रेकार्ड कमुसा से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया	

तारीख
हुकम

प्रकरण सं 57/2020 (02096)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम ज
हुकम की तारीख
में जारी हुए

श्री माधवलाल vs अश्विनी

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों से वास्तविक तथा
सारगमिर्त होने से आदेश दिया जाता है कि
बाल काट के तिनका तक विपक्षी प्रार्थी के उपभोग
उपभोग के दस्तावेजी नकल, रेकार्ड एवं मोकल जा
यथास्थिति बनाये रखे तथा पानी निकारी, मोकल
आदि लगातार व निरन्तर से बाध उपभोग नहीं
करे। पञ्जावली केसल शकल होकर नकल
से काम हो।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (मीलवाडा)

